Present:- M.P.Yadava, Addl.S.J-IX, Katihar, Court No-10,
A.B.P.No.219/2026, Katihar Nagar P.S. Case No.- 68/2026
Md. Jamal v/s State of Bihar

न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश, नवम्, कटिहार।

जनपद– कटिहार (बिहार)

A.B.P.No.-219/2026

Katihar Nagar P.S. Case No- 68/2026

1. मो0 जमाल पित मो0 जाहुर अली, उ0त0 46 वर्ष,
निवासी ग्राम–बौलिया दियारा, थाना–मनिहारी
जिला– कटिहार। .....आवेदक।

बनाम

बिहार सरकार।.....अभियोजन।

अभियोजन की ओर विद्वान अधिवक्ता अ0 लो0 अभि0 श्री सरदार यशवंत सिंह।

आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ताः श्री.....प्रतीक शर्मा ।

उपस्थितिः– महेन्द्र प्रसाद यादव, अपर सत्र न्यायाधीश, नवम्, कटिहार।

दिनांकः 14.05.2026

आदेश

1. प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन दिनांक 11.02.2026 को आवेदकगण की ओर से नवीन वकालतनामा के साथ विद्वान अधिवक्ता श्री प्रतीक शर्मा द्वारा दाखिल की गयी है। जमानत आवेदन की प्रतिलिपि विद्वान अपर लोक अभियोजक को उपलब्ध करायी गयी है।
2. अभियोजन का संक्षिप्त केस यह है कि सूचक समृत साह ने थानाध्यक्ष, नगर कटिहार थाना को एक टंकित आवेदन देते हुए कथन किया है कि दिनांक 13.01.2026 को तीन गछिया स्थित मेरे गोदाम में समय करीब 12:38 बजे रात्रि से लेकर 02:51 रात्रि के बीच हमारे गोदाम में चोरी हुई हैं। पहले से दो चोर स्कुटी से कुछ मखाना के बोरा को लेकर गए। फिर बाद में उनका तीसरा साथी आकर बाकी बचे बोरे को ठेला पर लेकर फसीया टोला की ओर जाते हमारे घर में लगे सी0सी0टी0वी0 कैमरा में देखा गया। मेरे गोदाम से तीन बोरा मखाना किसी अज्ञात चोर के द्वारा चोरी कर लिया गया है जिसका वजन 300 किलोग्राम था। ये सब घटना मेरे घर में लगे सी0सी0टी0वी0 में कैद हो गई हैं। यह घटना हमलोग को सुबह में पता चला।
3. अग्रिम जमानत के बिन्दु पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता प्रतीक शर्मा एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री सरदार यशवंत सिंह को सुना।
4. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री प्रतीक शर्मा द्वारा कथन किया गया है कि आवेदक की ओर से गिरफ्तारी की आशंका से यह अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है। आवेदक की ओर से इस अग्रिम जमानत आवेदन के अलावे अन्य कोई नियमित अथवा अग्रिम जमानत आवेदन इस न्यायालय या मान्नीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक बिल्कुल निर्दोष हैं तथा उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक को इस वाद में झूठा फंसाया गया है। आवेदक प्राथमिकी नामजद अभियुक्त नहीं है तथा सहअभियुक्त के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर आवेदक को इस मामले अभियोजित किया गया हैं। आवेदक कब्जे से कोई भी वस्तु बरामद नहीं किया गया हैं। आवेदक स्थानीय और सक्षम जमानतदार न्यायालय की संतुष्टि पर देने के लिए तैयार है। अतः न्यायहित में आवेदक को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने की कृपा किया जाये।
5. विद्वान अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कथन किया है कि आवेदक के विरूद्ध लगाया गया आरोप गंभीर प्रकृति की है। अतः यह अग्रिम जमानत पाने के अधिकारी नहीं है।
6. उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना एवं संपूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे विदित है कि सूचक समृति साह के टंकित आवेदन के आधार पर अज्ञात के विरूद्ध कटिहार नगर थाना कांड संख्या–

68/2026 दिनांक 14.01.2026 भारतीय न्याय संहिता की धारा 334(2), 303(2) के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज किया गया है। कांड दैनिकी की कंडिका 5, 6 एवं 8 में साक्षियों ने प्राथमिकी आवेदन का समर्थन किया है। कांड दैनिकी के कंडिका 18 में एक मालवाहक जुगाड़ गाड़ी पर दो व्यक्ति द्वारा मखाना लोड कर रस्सी से बांधने के दौरान पकड़ा गया है, जिसमें दोनों ने अपना नाम सिराज उर्फ अजफर तथा मो0 शमशाद उर्फ लेलहा बताया हैं। मो0 शमशाद के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर मामले के आवेदक मो0 जमाल को इस मामले में अभियुक्त बनाया हैं। कांड दैनिकी के कंडिका 33, 34 एवं 42, 43, 44 में स्वतंत्र साक्षियों ने बयान दिया है कि मो0 शमशाद का मो0 इस्माईल से जमीनी विवाद चल रहा है जिसके कारण पुरानी दुश्मनी को लेकर अन्य अभियुक्तों का नाम दिया गया हैं। आवेदक के विरूद्ध कांड दैनिकी में कोई आपराधिक इतिहास नहीं पाया गया है तथा मामला अभियुक्त मो0 शमशाम उर्फ लेलहा एवं मो0 सिराज उर्फ अजफर के विरूद्ध भा0न्या0सं0 की धारा 334(2), 303(2) के अन्तर्गत सत्य पाते हुए आरोप–पत्र समर्पित किया गया हैं तथा अन्य अभियुक्तों के विरूद्ध पूरक अनुसंधान जारी रखा गया है। मामले में समान आरोप के अभियुक्त मो0 इस्माईल को विद्वान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कटिहार द्वारा दिनांक 24.02.2026 को अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–203/2026 जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया गया हैं।

7. मामले के उपरोक्त विवेचन तथा मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में आवेदक को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है, तदनुसार आवेदक को आदेश की तिथि/आदेश प्राप्त होने की तिथि से चार सप्ताह के अन्दर विद्वान विचारण न्यायालय में आत्मसमर्पण करने या पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने पर मो0 10,000/–रूपये एवं समान राशि के दो प्रतिभुओं का बंधपत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 482(2) में वर्णित उपबंधों के पालन में वचन पत्र के साथ दाखिल करने पर विद्वान विचारण न्यायालय की संतुष्टि पर अग्रिम जमानत पर मुक्त किये जाने का आदेश दिया जाता है।

कार्यालय लिपिक आदेश की प्रति संबंधित विद्वान विचारण न्यायालय को भेजें तथा अभिलेख नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित

(महेन्द्र प्रसाद यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश, नवम्
कटिहार।

Date of Order	14-05-2026
Date of Reserving Order	14-05-2026
Uploading Date	14-05-2026
Uploaded by	

webcivilcourtktr